न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 6/2024

वादीगण

1. मांगीलाल दुकतावा पुत्र लालूराम
2. सुखाराम पुत्र लालूराम
3. चुतराराम दुकतावा पुत्र लालूराम
4. श्रीमति गेरीदेवी पुत्री लालूराम
5. श्रीमति नेनी पुत्री लालूराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी

सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादीगण की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः**–2/12/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़ा, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 3 कुल रकबा 9. 9426 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण के पिता लालूराम पुत्र अन्नाराम की थी। जिसमें लालूराम पुत्र अन्नाराम का 1/72 वां हिस्सा निहित है। पैरा सं. 2 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के पिता लालूराम पुत्र अन्नारामजी थे। खातेदार लालूराम पुत्र अन्नाराम का देहान्त दिनांक 08.03.1999 को हो गया, लालूराम पुत्र अन्नाराम के तीन पुत्र मांगीलाल, सुखाराम, चुतराराम तथा दो पुत्रीयां गेरी देवी, नेनी तथा पत्नी केशी देवी है, जिनमें से केशी देवी का देहान्त दिनांक 23.10.1999 को हो चुका है। श्रीमति केशी देवी पत्नी लालूराम के उतराधिकारी उसके तीन पुत्र मांगीलाल, सुखाराम, चुतराराम तथा दो पुत्रीयां गेरी देवी, नेनी है। इनके अलावा लालूराम व श्रीमति केशी देवी के प्रथमश्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नही है। खातेदार लालूराम का फौतेदगी नामान्तरकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः वादीगण लालूराम पुत्र अन्नाराम के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वारिशान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण के पिता लालूराम को घर में लाड प्यार से लालाराम पुकारते थे और वादीगण के पिता लालूराम का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम लालूराम लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिता लालूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज की गई तब उनका नाम लालाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण के पिता लालूराम का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनका वास्वतिक नाम लालूराम है। वादीगण के पिता लालूराम के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और अपने पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारीजी के पास गये और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र, सर्विस बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र (लालूराम व श्रीमति केशी देवी) आदि के दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी जी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर वादीगण को बताया कि आपके पिता का सरकारी दस्तावेज में नाम लालूराम तथा जमाबंदी में लालाराम लिखा हुआ है, इस कारण नामान्तरकरण स्वीकृत नही हो सकता है, जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और तहसीलदार जी से सम्पर्क किया और नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को बताया कि आपके पिता का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया है, इस कारण आप न्यायालय के समक्ष शुद्धि का दावा पेश करे तब न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम भूमि दर्ज कर दी जायेगी। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने पिता लालाराम के स्थान पर लालूराम दर्ज कराने हेतु यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करना पड़ रहा है। वादीगण का आधारकार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र, सर्विस बुक आदि सरकारी दस्तावेजों मे अपने पिता का नाम लालुराम दर्ज किया हुआ है। वादीगण को अपने पिता की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही नही हो पा रही है, जिसके कारण वादीगण अपनी भूमि पर ऋण नहीं ले सकते है, और न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है। अतः वादीगण अपने पिता खातेदारी भूमि को घोषणा के जरिये शुद्धि की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वाद कारण जब वादीगण के पिता लालूराम का देहान्त दिनांक 08.03.1999 को हुआ तथा उनके देहान्त के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमति केशी देवी का देहान्त दिनांक 23.10.1999 को हो जाने पर उनका फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु अभी दिनांक 19.12.2023 को वादीगण हल्का पटवारी व तहसीलदार से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड मे अपने पिता की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी ने जमाबंदी में गलत इन्द्राज को दुरूस्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

करने से मना करने से मना कर दिया। वादीगण को वादकारण ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो वादकारण निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़ा, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार लालाराम पुत्र अन्नाराम के स्थान पर वादी संख्या–1 का 1/360 वॉ हिस्सा, वादी संख्या–2 का 1/360 वॉ हिस्सा, वादी संख्या–3 का 1/360 वॉ हिस्सा, वादी संख्या–4 का 1/360 वॉ हिस्सा, वादी संख्या–5 का 1/360 वॉ हिस्सा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 290 रकबा 0.0162 हैक्टयर गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टयर आई हुई है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि वादीगण के पिता लालूराम पुत्र अनाराम की थी। जिसमें लालूराम पुत्र अनाराम का 1/72 हिस्सा था। लालूराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नामा. सं. 252 दिनांक 24.05.89 के जरिये खातेदार अनाराम के फौत होने पर नाम लालाराम दर्ज हुआ। जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। लालाराम का देहान्त दिनांक 08.03.1999 को व पत्नी केशीदेवी का देहान्त दिनांक 23.10.1999 को हो चुका है। जिसका विरासत नामा. आज दिन तक नहीं भरा गया है। मृतक लालाराम उर्फ लालूराम का सजरा खानदान वादी सं 1 से वादी सं. 5 एवं केशीदेवी (फौत) पत्नी लालाराम उर्फ लालूराम है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ अपने पिता से सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, परिचय कार्ड, सर्विस बुक आदि प्रस्तुत किये जिसमें नाम लालूराम दर्ज है। पटवारी हल्का बिरावास द्वारा प्रस्तुत वंशावली रिपोर्ट एवं फर्द मौका में भी लालाराम व लालूराम नाम से एक ही व्यक्ति होना बताया। पद सं. 6 से 8 का जवाब कानूनी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम घाणामगरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 290 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा

नंबर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रविष्टि लालाराम पुत्र अनाराम /72 के स्थान पर वाद वादी सं. 1 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/360 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/360 हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/360 हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/360 हिस्सा का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र चुतराराम दुकतावा पुत्र लालूराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम घाणामगरा , प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र केशी पत्नी लालूराम, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र लालूराम पुत्र अन्नाराम आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 मृत्यु प्रमाण पत्र लालूराम पुत्र अन्नाराम, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमति केशी देवी पत्नी लालूराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड मांगीलाल दुकतावा पुत्र लालूराम, प्रदर्श 4 आधार कार्ड सुखाराम पुत्र लालूराम, प्रदर्श 5 आधार कार्ड चुतरा राम दुकतवा पुत्र लालूराम, प्रदर्श 6 गैरी देवी पत्नी बाबूलाल, प्रदर्श 7 आधार कार्ड नेनी पुत्री भवरलाल, प्रदर्श 8 सरपंच ग्रम पंचायत द्वारा जारी सहमति पत्र आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के पिता का नाम लालूराम पुत्र अनाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम लालाराम पुत्र अनाराम के नाम से दर्ज है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी चुतराराम दुकतावा पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाडा द्वारा शपथ पत्र पी. डब्ल्यु. 1 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया है। हल्का पटवारी घाणामगरा व तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम लालूराम पुत्र अनाराम है तथा भू राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम लालाराम पुत्र अनाराम एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है,

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वस्तुत लालूराम व लालाराम एक ही व्यक्ति है तथा वादीगण के पिता/खातेदार का वास्तविक एवं सही नाम लालूराम है। अतः वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपनें पिता के सही एवं वास्तविक नाम के साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। चुंकि वादीगण के पिता लालूराम फौत हो चुका है, अतः इनके विधिक वारिसान वादीगण के पिता के स्थान पर वादीगण के पिता के वास्तविक एवं सही नाम के साथ खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन करवा सकते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाडा के खसरा संख्या 290 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टयर में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के पिता के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि लालाराम पुत्र अनाराम को सही एवं वास्तविक नाम लालूराम पुत्र अनाराम से प्रतिस्थापित करते हुए मृतक लालूराम पुत्र अनाराम के स्थान पर इसके विधिक वारिसान वादीगण क्रमशः वादी सं. 1 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/360 वां हिस्सा के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत की जाने हेतू तहसीलदार बिलाडा को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस. वादी**

वादीगण
मांगीलाल दुकतावा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 6 / 2024

निर्णय **दिनांक** :– 21/1/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम धाणामगरा तहसील बिलाडा के खसरा संख्या 290 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टयर, खसरा नंबर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टयर में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के पिता के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि लालाराम पुत्र अनाराम को सही एवं वास्तविक नाम लालूराम पुत्र अनाराम से प्रतिस्थापित करते हुए मृतक लालूराम पुत्र अनाराम के स्थान पर इसके विधिक वारिसान वादीगण क्रमशः वादी सं. 1 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/360 वां हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/360 वां हिस्सा के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत की जाने हेतू तहसीलदार बिलाडा को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्रे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा